



प्रेस नोट जनपद मुरादाबाद

श्री सतपाल अंतिल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 09.10.2024 को जनपद मुरादाबाद से निम्न कार्यवाही की गयी:-

1. गैर इरादतन हत्या का आरोपी गिरफ्तार, थाना छजलैट:-



अवगत कराना है कि दिनांक 08.10.2024 को वादी कल्लू सिंह पुत्र श्री बलदेव सिंह निवासी ग्राम मथाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद ने वादी के भतीजे व उसकी पत्नी वेबी के बीच झगड़ा होने तथा गम्भीर चोट लगने के कारण वादी के भतीजे की मृत्यु हो जाने के संबंध में थाना छजलैट पर तहरीर दी, तहरीर के आधार पर थाना छजलैट पर मु0अ0सं0- 218/2024 धारा -105 बीएनएस पंजीकृत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध व अपराधियों पर प्रभावी अंकुश व गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान एवं विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 09.10.2024 को उ0नि0 श्री रामकुमार सोम थाना छजलैट द्वारा मय हमराही पुलिस बल के अभियुक्त बेबी पत्नी राजू उर्फ राजवीर निवासी ग्राम मथाना थाना छजलैट जनपद मुरादाबाद को गिरफ्तार किया गया। अन्य विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

2- थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा 01 वारंटी को किया गिरफ्तार:-



अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुरादाबाद के निर्देशानुसार अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण, वांछित/वारंटी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक 09.10.2024 को थाना मुगलपुरा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त/वारंटी मुन्ना पुत्र अ0 गफूर निवासी लम्बी गली पीरगैब थाना मुगलपुरा जनपद मुरादाबाद सम्बन्धित मुकदमा न0- 289/14 अ0स0- 270/05 धारा 4/25 ए एक्ट को गिरफ्तार कर सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

